

प्रेमक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।

शेता में,

राशिग,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा कोष, 2, सामुदायिक कोष
प्रीत विहार, दिल्ली-110092

पत्रांक: एनओओसीओ/

/2023-24 दिनांक:

15/03/24

विषय:- परशुराम ग्लोबल अकेडमी, अमाही, जैतपुर कला, बाह आगरा को सीओबीओएसओईओ, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

गहोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या-2762/15-13-91-4(46)/91 दिनांक 20 नवम्बर, 1991 एवं राजाज्ञा संख्या-1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 सपटित शिक्षा निदेशक(माओ), 2009 के पत्रांक:साओ(1)/शिविर/एनओओसीओ/7153/2009-2010 दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 के आलोक में एतदर्थ मण्डलायुक्त आगरा की अध्यक्षता में गठित राशिगि की बैठक दिनांक 15.03.2024 में लिए गये निर्णय के क्रम में परशुराम ग्लोबल अकेडमी, अमाही, जैतपुर कला, बाह आगरा को सीओबीओएसओईओ, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- क- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- ख- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- ग- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जन जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- घ- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- ङ- संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- च- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- छ- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- ज- विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।
- झ- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- ञ- उपर्युक्त क्रम क से झ में कोई परिवर्तन/ संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं किया जायेगा।
- ट- उपर्युक्त क्रम क से अ तक के प्रतिबन्धों को सोसायटी के बायलॉज में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।
- ड- संस्था को उओप्रओ माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा पूर्व से मान्यता प्राप्त होने के सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छिपाया गया हो तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- ड- विद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि/भवन में ही विद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है, अन्यत्र किसी भी भूमि/भवन में संचालित होने वाले विद्यालय अथवा शाखा हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

द- **Manager** आगरा, शिक्षा समन्वयक मानकों का पालन करते हुये सम्बन्धित विभाग से प्रत्येक वर्ष जांच/निरीक्षण कराया जायेगा और यथावश्यक प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण कराया जायेगा।

भविष्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विभाग द्वारा अंशकालीन समूह और 'दुर्बल वर्ग' के चयनित किये गये बच्चों का धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत प्रवेश लिया जाना बाध्यकारी होगा।

Principal
Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है अथवा कोई तथ्य छुपाया गया संज्ञान में आता है तो मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा।

भवदीय

(आर०पी० शर्मा)

सदस्य/सचिव एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।

पृष्ठा०संख्या: एन०ओ०सी०/ 19571-79

/2023-24 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त (अध्यक्ष-मण्डलीय समिति) आगरा मण्डल, आगरा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- विशेष सचिव, (मा०शि०) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा-7 अनुभाग, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, आगरा।
- 4- शिक्षा निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, 18-पार्क रोड, लखनऊ।
- 5- जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
- 6- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, परशुराम ग्लोबल अकेडमी, अमांही, जैतपुर कला, बाह आगरा।
- 7- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- गार्ड फाइल।

सदस्य/सचिव एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।

Dyadava

Manager

Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra

Ashish

Principal

Parshuram Global Academy
Amahi, Jaitpur Kalan, Agra